

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 34 / 2024

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. उदाराम पुत्र देराजराम 2. केसाराम पुत्र देराजराम 3. रामाराम पुत्र निम्बाराम 4. डालूराम पुत्र दलाराम 5. अचलाराम पुत्र दलाराम 6. हुकमाराम पुत्र दलाराम जातियान जाट निवासी कोशलू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1. खेताराम पुत्र भीखाराम 2. राईदेवी पत्नी भीखाराम 3. पूनमाराम पुत्र भूराराम 4. हडमानराम पुत्र चिमनाराम 5. पाबूराम पुत्र चिमनाराम 6. ठाकराराम पुत्र चिमनाराम 7. अचलाराम पुत्र चिमनाराम 8. देवाराम पुत्र चिमनाराम 9. चूनीदेवी पत्नी चिमनाराम जातियान जाट निवासी कोशलू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 10. तहसीलदार सिणधरी।
--	--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 10 के पैरोकार उप. शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 24.07.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि तहसील सिणधरी पटवार कोशलू के ग्राम कोशलू के खेत खसरा सं. क्रमशः 235, 344/223, 381/346 रकबा क्रमशः 0.0566, 10.2096, 24.3509 हैक्टर कुल रकबा 34.6161 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 05.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी



लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार कोशलू ग्राम कोशलू के खेत खसरा सं. क्रमशः 235, 344/223, 381/346 रकबा क्रमशः 0.0566, 10.2096, 24.3509 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टर	किस्म	लगा न	बरंग
1.	उदाराम पुत्र देराजराम जाति जाट सा.देह खातेदार रहन RMGB सिणधरी।	कोशलू	381/346	2.1358	बा.सो.		गुलाबी
			381/346	2.1397	बा.सो.		
		कुल	2	4.2755			
2.	केसाराम पुत्र देराजराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन RMGB सिणधरी।	कोशलू	381/346	2.1358	बा.सो.		हरा
			381/346	2.1397	बा.सो.		
		कुल	2	4.2755			
3	रामाराम पुत्र निवाराम जाति जाट सा. देह खातेदार।	कोशलू	381/346	4.2756	बा.सो.		भूरा
4	डालूराम पुत्र दलाराम जाति जाट सा.देह खातेदार।	कोशलू	381/346	1.3686	बा.सो.		आसमानी
			235	0.0566	गै.मु.		
		कुल	2	1.4252			
5	अचलाराम पुत्र दलाराम जाति जाट सा.देह खातेदार।	कोशलू	381/346	1.4252	बा.सो.		बैंगनी
6	हुकमाराम पुत्र दलाराम जाति जाट सा.देह खातेदार।	कोशलू	381/346	1.4252	बा.सो.		केसरिया
7	1.खेताराम पुत्र भीखाराम 5/18 2.राईदेवी पत्नी भीखाराम 1/18 3.पूनमाराम पुत्र भूराराम 1/3 4.हड़मानराम पुत्र चिमनाराम 1/18 5.पाबूराम पुत्र चिमनाराम 1/18 6.ठाकराराम पुत्र चिमनाराम 1/18 7.अचलाराम पुत्र चिमनाराम 1/18 8.देवाराम पुत्र चिमनाराम 1/18 9.चूनीदेवी पत्नी चिमनाराम 1/18 जाति जाट सा. देह खातेदार	कोशलू	381/346	2.2300	बा.सो.		पीला
			381/346	4.5717	बा.सो.		
			344/223	1.1493	बा.सो.		
			344/223	8.9713	बा.सो.		
		कुल	4	17.1023	बा.सो.		

8	1. उदाराम पुत्र देराजराम 1/8	कोशलू	381/346	0.2831	बा.सो.	
	2. केसाराम पुत्र देराजराम 1/8		381/346	0.0405	बा.सो.	
	3. रामाराम पुत्र निम्बाराम 1/8		344/223	0.0890	बा.सो.	
	4. डालूराम पुत्र दलाराम 1/24					
	5. अचलाराम पुत्र दलाराम 1/24					
	6. हुकमाराम पुत्र दलाराम 1/24					
	7. खेताराम पुत्र भीखाराम 5/36					
	8. राईदेवी पत्नी भीखाराम 1/36					
	9. पूनमाराम पुत्र भूराराम 1/6					
	10. हडमानराम पुत्र चिमनाराम 1/36					
	11. पाबूराम पुत्र चिमनाराम 1/36					
	12. ठाकराराम पुत्र चिमनाराम 1/36					
	13. अचलाराम पुत्र चिमनाराम 1/36	कुल	3	0.4126	बा.सो.	काला
	14. देवाराम पुत्र चिमनाराम 1/36					
	15. चूनीदेवी पत्नी चिमनाराम 1/36					
	जाति जाट सा. देह खातेदार रहन- उदाराम, केसाराम का हि. RMGB शाखा सड़ा।					

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

3
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी